प्रेस नोट

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक **सभा सामान्य निर्वाचन, 2009 के लिए दिनांक 02 मार्च, 2009 को निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा कर दी गयी** है। आयोग द्वारा की गयी घोषणा के अनुसरण में उत्तराखण्ड राज्य में पंचम चरण में मतदान सम्पादित किया जायेगा।

लोक सभा सामान्य निर्वाचन की घोषणा के फलस्वरूप राज्य में तत्काल प्रभाव से भारत निर्वाचन आयोग की **आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct)** प्रभावी हो गयी है। आदर्श आचार संहिता समस्त मा0 मंत्रीगणों एवं दर्जा प्राप्त समस्त राज्य मंत्रियों पर भी तात्कालिक प्रभाव से लागू होगी। भारत निर्वाचन आयोग की आदर्श आचार संहिता का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु समस्त प्रमुख सचिवों/सचिवों, मण्डलायुक्तों, जिलाधिकारियों एवं समस्त मा0 मंत्रीगणों के निजि सचिवों आदि को अवगत कराया जा चुका है।

आयोग द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत लोक सभा निर्वाचन का कार्यक्रम निम्नवत् है:-

1	अधिसूचना जारी होने की तिथि	–	**17 अप्रैल, 2009**
2	नाम निर्देशन की अंतिम तिथि	–	**24 अप्रैल, 2009**
3	नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की तिथि	–	**25 अप्रैल, 2009**
4	नाम वापसी की अंतिम तिथि	–	**27 अप्रैल, 2009**
5	मतदान की तिथि	–	**13 मई, 2009**
6	मतगणना की तिथि	–	**16 मई, 2009**
7	वह दिनांक जिससे पूर्व निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न कर ली जायेगी।	–	**28 मई, 2009**

दिनांक 02-03-2009

(डा0 हेमलता ढौंडियाल)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी